न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री अनूप सिह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2020/00443
मुकदमा नम्बर 33/2020

दर्ज दिनांक–25.11.2020

बसन्त कुमार पुत्र मोहनलाल जाति– अहीर निवी मैनास तहसील नवलगढ़

– वादी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री विधाधर जाखड़
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 25.03.2021

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम मैनास पटवार हल्का कुमावास मे खाता सं. नया 2 पुराना 4 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 365 रकबा 0.74 है0, खसरा नं. 367 रकबा 1.68 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.42 है0 स्थित हैं मे प्रार्थी का नाम बंशीधर पुत्र मोहनलाल दर्ज है उसकी जगह बसन्त कुमार पुत्र मोहनलाल दर्ज करने का आदेश प्रदान करके रिकार्ड सही व दुरूस्त करे।

इत्यादी पर प्रा0 पत्र बाद अवलोकन दर्ज पंजीका किया गया तथा तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। तहसीलदार नवलगढ़ से तथ्यात्मक रिर्पोट प्राप्त की गई जिसके अनुसार मौके पर जॉच करने गॉव के लोगो से पुछ–ताछ करने पर प्रार्थी बसन्त कुमार पुत्र मोहनलाल एंव रिकार्ड मे दर्ज बंशीधर पुत्र मोहनलाल उक्त दोनो नामो का एक ही व्यक्ति प्रार्थी होना बताया है। अतः प्रार्थी का नाम बंशीधर पुत्र मोहनलाल के स्थान पर बसन्त कुमार पुत्र मोहनलाल किया जाना उचित है।

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि ग्राम मैनास पटवार हल्का कुमावास मे खाता सं. नया 2 पुराना 4 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 365 रकबा 0.74 है0, खसरा नं. 367 रकबा 1.68 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.42 है0 स्थित मे प्रार्थी का नाम बंशीधर पुत्र मोहनलाल दर्ज है उसकी जगह दुरूस्त किया जाकर बसन्त कुमार पुत्र मोहनलाल दर्ज किया जावे। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Scanned by CamScanner